पत्र संख्या बी-1-एलाटमेन्ट-3/2017-2018/ 390 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 23, Aug,2017

**समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,**
**वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**

**शासनादेश संख्या-क0नि0-4-915/11-2017-300(22)/16 दिनाँक 21/4/2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2040-बिकी, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान"** के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जाता है । **कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन करते हुये आवंटित बजट की सीमा तक सीमित रखें।**

कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करायें । यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशो के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये । अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

**उक्त के अतिरिक्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, इलाहाबाद व लखनऊ को मानक मद संख्या-22-आतिथ्य व्यय में आवंटित की धनराशि में रू0 5000.00 का आवंटन उच्च न्यायालय कार्य के कार्यालयों हेतु सम्मिलित है, जिसे नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।**

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन पंजिका के सम्बन्धित पृष्ठों पर कर ली गयी है ।

संलग्नक-: यथोपरि ।

( सुभाष चन्द्र यादव )
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

पृ0प0सं0 एवं दिनाँक यथोपरि ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1:- **समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**

2:- **उपमहालेखाकार,राजकोष एवं वी0एल0सी0,कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।**

( सुभाष चन्द्र यादव )
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।